(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं.73/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः14 फरवरी, 2019

विषयः निर्यात उत्पाद "मूंगफली की गिरी" के लिए क्र.सं. ई–92 पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड. II में सिओन ई–92 में संशोधन करते हैं और संशोधित सिओन ई–92 को निम्नुसार पढ़ा जाएगाः

सिओन सं.	निर्यात मद	मात्रा		आयात मद	अनुमत मात्रा
ई 92	एचपीएस मूंगफली की गिरी	1 कि.ग्रा.	1	कच्चा जूट	निर्यात उत्पाद पैकेजिंग में 1.05 कि.ग्रा./प्रति कि.ग्रा. सामग्री
			2	संबंधित एलडीपीई/एचडीपीई/पीपी दाने	निर्यात उत्पाद पैकेजिंग में 1.05 कि.ग्रा./प्रति कि.ग्रा. सामग्री
			3	(क) मूंगफली छिलका युक्त अथवा (ख) अपग्रेडेड मूंगफली की गिरी	निर्यात उत्पाद में 1.20 कि.ग्रा./प्रति कि.ग्रा. सामग्री अथवा निर्यात उत्पाद में 1.05 कि.ग्रा/प्रति कि.ग्रा सामग्री

टिप्पणीः–

यदि निर्यात का मद एचपीएस मूंगफली की गिरी (भुने हुए और उबले हुए) है तो क्र.सं. 3(क) पर आयात मद अर्थात मूंगफली छिलका युक्त को निर्यात उत्पाद में 1.25 कि.ग्रा./प्रति कि.ग्रा सामग्री के रूप में अनुमति दी जा सकती है अथवा क्र.सं. 3(ख) पर अयात मद अर्थात अपग्रेडेड मूंगफली की गिरी को निर्यात उत्पाद में 1.10 कि.ग्रा./प्रति कि.ग्रा सामग्री के रूप में अनुमति दी जा सकती है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः सिओन ई 92 के तहत, मूंगफली छिलका युक्त/गिरी को आयात की अनुमति दी गई है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft.@nic.in

(फाइल सं. 01/85/171/090/एएम–16/डीईएस VI से जारी)